दिनांक 04.09.2021
प्रेस विज्ञप्ति 04/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा कमिश्नरेट, लखनऊ के थाना हजरतगंज का किया गया आकस्मिक निरीक्षण

श्री मुकुल गोयल, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 04.09.2021 को थाना हजरतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0 सहित अन्य पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहें।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा थाना हजरतगंज कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, साइबर सेल एवं महिला थाना का निरीक्षण किया गया।

- **महिला हेल्प डेस्क** के निरीक्षण के दौरान आगन्तुक व कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन कर उसमें अंकित आगन्तुक के नम्बर पर वार्ताकर फीडबैक लिया गया । महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त महिला पुलिस कर्मियों को शिकायतकर्ताओं की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
- **मिशन शक्ति तृतीय चरण** में आबंटित बीट की महिला बीट कर्मियों से वार्ता कर उन्हें निरन्तर बीट में भ्रमण करने तथा भ्रमण के दौरान बुजुर्ग महिलाओं, महिलाओं व बच्चियों के प्रति संवेदनशील रहकर उनकी समस्याओं का समुचित निस्तारण करना व उनको जागरूक करने के निर्देश दिये गये।
- **महिला थाना** के निरीक्षण के दौरान लम्बित विवेचनाओं का समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त महिला थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि मिडियेशन के पश्चात विवेचनाए अनावश्यक रूप से लम्बित न रहे ।
- **साइबर सेल** के निरीक्षण के दौरान वहॉ मौजूद शिकायतकर्ता से वार्ता कर उनसे फीडबैंक लिया गया, उपस्थित पुलिस कर्मियों को **साइबर हेल्प लाइन नम्बर 155260** के ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार की हिदायत दी गयी।

• **पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0, महोदय द्वारा थाना हजरतगंज कार्यालय** के निरीक्षण के दौरान हत्या बलवा रोकथाम रजिस्टर, थाना प्रभारी का मासिक निरीक्षण रजिस्टर, त्यौहार रजिस्टर, राजपत्रित अधिकारियों का आकस्मिक निरीक्षण रजिस्टर एवं महिला बीट वितरण रजिस्टर सहित अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों का अवलोकन किया गया। पुलिस कर्मियों को रजिस्टर/अभिलेखों को अद्यावधिक करने एवं उनके रखरखाव के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये।

डीसीपी, एडीसीपी एवं एसीपी लखनऊ को विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण एवं जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण तथा सीसीटीवी कैमरों का भी समय समय पर निरीक्षण कर उसके रखरखाव/क्रियाशीलता पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया।

थाना परिसर की साफ–सफाई एवं रजिस्टरों/अभिलेख के अद्यावधिक न होने व रखरखाव ठीक न होने पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा गहरा रोष व्यक्त करते हुये पुलिस आयुक्त लखनऊ को प्रभारी निरीक्षक थाना हजरतगंज को हटाने व जॉच के निर्देश दिये गये।

जनपद मथुरा/थाना कोतवाली

- **पुलिस कार्यवाही में 01 लाख रूपये व 10 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 44 लाख 44 हजार 500 रूपये नगद**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 11 जीवित, 09 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 03/04.09.2021 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—अरविन्द उर्फ माया घायल हो गया, जिसे 2—नरेश 3—अरूण कुमार 4—विनय कुमार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 44 लाख 44 हजार 500 रूपये नगद, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 11 जीवित, 09 खोखा कारतूस बरामद हुये।घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनमें अभियुक्त अरविन्द उर्फ माया के विरूद्ध जनपद मथुरा, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, हाथरस, आगरा व गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 19 अभियोग, अभियुक्त विनय कुमार के विरूद्ध जनपद आगरा, हाथरस व मथुरा के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग, अभियुक्त अरूण कुमार के विरूद्ध जनपद हाथरस व मथुरा के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त नरेश के विरूद्ध जनपद मथुरा के थाना कोतवाली पर लूट व हत्या के प्रयास के अभियोग पंजीकृत हैं। दिनांक 16.08.2021 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर पर मु0अ0सं0 550/2021 धारा 394 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के

अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है तथा अभियुक्त अरविन्द उर्फ माया की गिरफ्तारी हेतु जोन स्तर से 01 लाख रूपये व अभियुक्त नरेश की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अरविन्द उर्फ माया निवासी बिनोबा नगर , थाना सादाबाद मूल निवासी गढ़ी हरवल थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

2—नरेश निवासी उखर्रा थाना सदर बाजार जनपद आगरा।

3—अरूण कुमार निवासी बिनोबा नगर , थाना सादाबाद मूल निवासी गढ़ी हरवल थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

4—विनय कुमार निवासी सैनिक नगर राजपुर चुंगी थाना सदर बाजार जनपद आगरा।

बरामदगी

1—लूट के 44 लाख 44 हजार 500 रूपये नगद।

2—03 अवैध तमंचा 315 बोर, 11 जीवित, 09 खोखा कारतूस।

जनपद कुशीनगर/थाना कसया

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस,**
- **01 पिकअप वाहन (बिना नम्बर) आदि बरामद**

दिनांक 04.09.2021 को थाना कसया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बैरिया चौराहे के पास पिकअप सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी,

जिसमें आरक्षी लालजी यादव घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त खुर्शीद शाह घायल हो गया, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 पिकअप वाहन (बिना नम्बर) आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कुशीनगर व गोरखपुर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आबकारी अधिनियम व सीएस एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कुबेर स्थान पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कसया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—खुर्शीद निवासी जंगल हनुमानगंज शेख टोलिया थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।
2—01 पिकअप वाहन (बिना नम्बर)।

<u>जनपद गाजियाबाद ग्रामीण/थाना मसूरी</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 कार**
- **30 ईसीएम**
- **03 कटे हुए इंजन**
- **45 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 03.09.2021 को थाना मसूरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डासना फ्लाई के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—प्रदीप

कुमार उर्फ पिन्टू 2–अजीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 कार, 30 ईसीएम(इंजन कंट्रोल मोड्यूल), 03 कटे हुये इंजन , चेचिंस नम्बर बदलने के उपकरण, 45 हजार रूपये नगद (चोरी की कटी हुई कारों के पार्ट्स ब्रिकी के) बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा से चार पहिया वाहन चोरी कर ग्राहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना मसूरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–प्रदीप कुमार उर्फ पिन्टू निवासी ग्राम गेसुपूर बरवाला थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर, हालपता–नेहरूनगर राकेश मार्ग थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद।

2–अजीम निवासी सुन्दरनगरी थाना नन्द नगरी, दिल्ली।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 10 कार।

2–30 ईसीएम(इंजन कंट्रोल मोड्यूल)

3– 03 कटे हुये इंजन।

4– चेचिंस नम्बर बदलने के उपकरण।

5– 45 हजार रूपये नगद।

<u>जनपद बरेली/थाना प्रेमनगर</u>

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 20 टन सरिया**
- **सरिया ब्रिकी में 06 लाख 10 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद**

दिनांक 03.09.2021 को थाना प्रेमनगर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शास्त्री नगर तिराहा से 03 अभियुक्तों 1–तसलीम 2–राजू

3–वामिक खान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से धोखाधड़ी कर गबन किये गये 20 टन सरिया मय ट्रक एवं सरिया बेचने से प्राप्त 06 लाख 10 हजार रूपये नगद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 12.08.2021 को ट्रक चालक द्वारा ट्रक पर लदी लगभग 32 टन सरिया को धोखाधड़ी कर गायब करने के सम्बन्ध में थाना प्रेमनगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। अभियुक्तो से बरामद रूपये व सरिया आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–तसलीम निवासी ग्राम रिछौला किफायतुल्ला थाना नवाबगंज, बरेली, हाल निवासी ग्राम छिनकी थाना किच्छा जनपद उधमसिंहनगर , उत्तराखण्ड।

2–राजू निवासी मो0 सूर्या ढाबा, कस्बा व थाना किच्छा जनपद उधमसिंहनगर , उत्तराखण्ड।

3–वामिक खान निवासी मण्डनपुर थाना बहेड़ी जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लगभग 20 टन सरिया, घटना में प्रयुक्त ट्रक।
2–सरिया बेचने से प्राप्त 06 लाख 10 हजार रूपये नगद आदि ।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–3

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 दो पहिया वाहन, मास्टर चावी**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 03.09.2021 को थाना फेस–3 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुस्ता रोड हिण्डन नदी के पास बदमाशों की घेराबन्दी गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम

पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अनीस घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—मौ0 शकील सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 दो पहिया वाहन, मास्टर चाबी, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना फेस—3 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अनीस निवासी ग्राम रौधा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर हालपता सुदामापुरी थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद।

2—मो0शकील निवासी ग्राम नगला खेरी थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद हालपता—ग्राम फतेहपुर बेरी, थाना फतेहपुर बेरी दक्षिणी, दिल्ली।

बरामदगी

1—चोरी की 06 दो पहिया वाहन।

2—मास्टर चाबी।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद गाजियाबाद/थाना सिहानीगेट

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 04.09.2021 को थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुराना बस अड्डा के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों

ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त एनामुल शेख घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना सिहानीगेट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–एनामुल शेख निवासी पैगम टोला दक्षिण, पियारपुर, पियरपुर, साहेबगंज, झारखण्ड।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

2–01 मोबाइल आदि ।

जनपद गाजियाबाद/थाना मुरादनगर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **25 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **77 कारतूस विभिन्न बोर**
- **23 निर्मित/अर्द्धनिर्मित मैगजीन**
- **55 बैरल**
- **अवैध शस्त्र बनाने के भारी मात्रा में उपकरण व पुर्जे**
- **01 लाख 50 हजार रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 03/04.09.2021 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना मुरादनगर क्षेत्रान्तर्गत अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे अभियुक्तों 1–मोहम्मद मुस्तफा उर्फ मुसरा 2–मो0 सालम आलम 3–मौ0 कैफी आलम उर्फ मो0

आसिफ 4—सलमान 5—अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 25 निर्मित/अर्द्धनिर्मिल अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 77 कारतूस विभिन्न बोर, 23 निर्मित/अर्द्धनिर्मित मैगजीन, अवैध शस्त्र बनाने के भारी मात्रा में उपकरण व पुर्जे, 01 लाख 50 हजार रूपये नगद आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोहम्मद मुस्तफा उर्फ मुसरा निवासी ग्राम पन्होदा थाना मुफस्सील जनपद मुंगेर बिहार, हालपता—कस्बा व थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

2—मो0 सालम आलम निवासी बाकरपुर थाना मुफस्सील जनपद मुंगेर, बिहार हालपता—कस्बा व थाना मुंरादनगर जनपद गाजियाबाद।

3—मौ0 कैफी आलम उर्फ मो0 आसिफ निवासी ग्राम मिरजापुर बर्धा थाना मुफस्सील जनपद मुंगेर, बिहार हाल पता—कस्बा व थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

4—सलमान निवासी सरायवहलीम थाना कोतवाली जनपद मेरठ।

5—अभियुक्ता ।

बरामदगी

1—25 निर्मित/अर्द्धनिर्मिल अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2— 77 कारतूस विभिन्न बोर।

3— 23 निर्मित/अर्द्धनिर्मित मैगजीन।

4—अवैध शस्त्र बनाने के भारी मात्रा में उपकरण व पुर्जे।

5—01 लाख 50 हजार रूपये नगद आदि।

जनपद अमेठी/थाना गौरीगंज

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 15 लाख रूपये (अर्न्तराष्ट्रीय कीमत) के 251 ग्राम अवैध स्मैक**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 04.09.2021 को थाना गौरीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जामो रोड नहर पुलिया के पास से 02 मादक पदार्थ तस्करों 1—हफीज अहमद 2—सलमान अहमद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 15 लाख रूपये (अर्न्तराष्ट्रीय कीमत) के 251 ग्राम अवैध स्मैक, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना गौरीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—हफीज अहमद निवासी तेतारपुर थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी।

2—सलमान अहमद निवासी तेतारपुर थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी।

बरामदगी

1—लगभग 15 लाख रूपये (अर्न्तराष्ट्रीय कीमत) के 251 ग्राम अवैध स्मैक।

2— 01 मोटर साइकिल।

एसटीएफः वन विभाग उत्तर प्रदेश मे वन दरोगा, वन रक्षक व वनपाल की फर्जी भर्ती निकाल कर कूटरचित नियुक्ति पत्र व पहचान पत्र देकर करोड़ों रूपये की ठगी करने वाले संगठित गिरोह के सरगना सहित 03 अभियुक्त जनपद लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांकः 03—09—2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को वन विभाग उत्तर प्रदेश मे वन दरोगा, वन रक्षक व वनपाल की फर्जी भर्ती निकाल कर कूट रचित नियुक्ति पत्र व पहचान पत्र देकर करोडों रूपये की ठगी करने वाले संगठित गिरोह के सरगना सहित 03 अभियुक्तों को जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :—

1. शिवम मेहरोत्रा पुत्र अनुपम मेहरोत्रा निवासी मोहल्ला बेहटी लहरपुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर।
2. आनन्द कुमार सिंह पुत्र अरबिन्द सिंह निवासी ग्राम मुरारपुर शाहपुर थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी।
3. परीक्षित पाण्डेय पुत्र हरिप्रकाश पाण्डेय निवासी ग्राम भदोही थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकर नगर।

बरामदगी—

1. 11 अदद एटीएम कार्ड।
2. 05 अदद मोबाइल।
3. 03 अदद आधार कार्ड।
4. 03 अदद पैनकार्ड।
5. 45 अदद उपस्थित सूचना प्रार्थना पत्र।
6. 5 अदद शपथ पत्र।
7. 50 अदद परिचय पत्र हेतु आवेदन पत्र।
8. 56 अदद कूटरचित नियुक्ति पत्र वन विभाग उत्तर प्रदेश मे वन दरोगा, वन रक्षक व वनपाल पद के लिए।
9. 77 अदद लिफाफा वन विभाग उ0प्र0 का मोनोग्राम छपा हुआ।
10. 396 अदद मार्कशीट आधार व परिचय पत्र की छायाप्रति।
11. 03 अदद कूटरचित परिचय पत्र वन दरोगा व वन रक्षक पद के लिए।
12. 07 अदद पासबुक।
13. 05 अदद चेकबुक।
14. 03 अदद मुहर वन विभाग उ0प्र0 की।
15. 90 अदद विभिन्न प्रकार के फर्जी आदेशों की प्रतियां।
16. 01 अदद ड्राइविंग लाइसेंस।
17. 01 अदद निर्वाचन कार्ड।
18. 01 अदद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टाटा हरियर ठगी से प्राप्त रूपये से खरीदी गयी।
19. रू 2535/ नकद।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः—

दिनांकः 03.09.2021, **स्थानः** सी 290 इन्दिरा नगर जनपद लखनऊ। **समयः** 22:45 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से विभिन्न सरकारी विभागों मे फर्जी भर्ती निकालकर व कूटरचित नियुक्ति पत्र, परिचय पत्र के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम मे मुख्यालय स्थित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि वन विभाग मे फर्जी भर्ती निकालकर श्री राम गोपाल तिवारी निवासी सीतापुर से उनके पुत्र व रिश्तेदारों को वन विभाग उ0प्र0 मे वन दरोगा व वनरक्षक के पद पर भर्ती कराने के नाम पर एक संगठित गिरोह द्वारा लगभग 36 लाख की ठगी करने के सम्बन्ध में थाना हजरतगंज लखनऊ मध्य (कमिश्नरेट लखनऊ) मे अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभिसूचना सकंलन के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 03.09.2021 को समय करीब 22:45 बजे उप निरीक्षक श्री पंकज सिंह के नेतृत्व मे साइबर क्राइम टीम एस0टी0एफ0

मुख्यालय व थाना हजरतगंज पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा सी 290 इन्दिरा नगर जनपद लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त शिवम मेहरोत्रा ने बताया कि वर्ष 2017 मे पलिया रेंज वन विभाग आफिस मे मेरी नियुक्ति संविदा पर कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर हुई थी। वर्ष 2017 में ही पलिया रेंज मे फारेस्ट गार्ड की भर्ती हुई थी जिनके नियुक्ति पत्र जारी हुए थे उनकी एक प्रति मैने अपने पास रख ली थी। 2018 में पलिया रेंज से संविदा पर नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर को निकाल दिया गया था। इसके बाद नौकरी की तलाश मे मै लखनऊ आ गया लखनऊ के कैसरबाग स्थित क्वीक मैनपावर कन्सेलटेंसी के आफिस मे मेरी मुलाकात अरबिंद यादव से हुई वह भी नौकरी की तलाश कर रहा था उससे मेरी मित्रत्रा हो गयी कई महीनों तक नौकरी न मिलने पर मैने व अरविन्द ने एक प्लान बनाया कि वन विभाग का नियुक्ति पत्र मेरे पास है व कुछ आदेश भी मेरे पास हैं जिनसे मिलते जुलते हम लोग भी आदेश बनाकर वन विभाग मे भर्ती निकाल कर कूटरचित नियुक्ति पत्र जारी कर देगें और लोंगों से भर्ती कराने के नाम पर वन दरोगा पद के लिए 03 लाख रूपये वन रक्षक व वनपाल के लिए 1.5 लाख रूपये ले लेंगें। इसके बाद अरविन्द ने मेरी मुलकात आनन्द सिंह, परीक्षित पाण्डेय, देवेन्द्र पाण्डेय व विजय सिंह से करायी इसके बाद 2018 से अब तक हम लोगों ने 35—40 लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लगभग 1 करोड़ रूपये की ठगी की मै नियुक्ति पत्र व परिचय पत्र बना लेता था इन पर अलग अलग रेंज के अनुसार अरविन्द यादव आनन्द सिंह, परीक्षित पाण्डेय, देवेन्द्र पाण्डेय व विजय सिंह हस्ताक्षर बनाकर कन्डीडेटों को देकर पद के अनुसार 1.5 लाख से 3 लाख तक ले लेते थे। जिसके माध्यम से कन्डीडेट आता था उससे और मेरे बीच रूपये आधा—आधा बांट लिया जाता था। यह लोग मुझे लोगों को कन्डीडेट से कन्जरवेटर बताकर परिचित कराते थे जिससे लोग विश्वास करके भर्ती होने को तैयार हो जाते थे। राम गोपाल तिवारी के पुत्र व रिश्तेदारों से हम लोंगों ने लगभग 36 लाख रूपये लिए थे जिसके सम्बन्ध मे अभियोग पंजीकृत होने के बाद से ही हम लोग छिप कर रह रहे थे। आज सारा दस्तावेज नष्ट करने के लिए हम लोग मीटिंग कर रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना हजरतगंज पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0स0 271/2021 धारा 406/420/467/468/471/506 भादवि में दाखिल कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 665 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (अनुमानित मूल्य लगभग 80 लाख रू०) बरामद।

दिनॉक—04.09.2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 665 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (ROYAL PARTY MALT WHISKY) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :—

1— गुरमीत सिंह पुत्र निरमल सिंह, निवासी बड़ाली एस0ए0एस0 नगर, सास नगर, पंजाब। (चालक)

2— मनप्रीत सिंह पुत्र मनमोहन सिंह, निवासी म0नं0—908 वार्ड नं0—दशमेश कालोनी, एस0बी0एस0 नगर, पंजाब।

<u>बरामदगी :-</u>

1— 665 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (लगभग 5985 लीटर, बाजार मूल्य लगभग 80 लाख रूपये)।

2— 01 अदद अशोक लीलैण्ड डीसीएम कूटरचित नं0 यू0पी0—68 बी0सी0—1440 वास्तविक नम्बर प्लेट—पी0बी0—65 ए0एस0—0142।

3— 03 अदद मोबाइल।

4— 01 अदद आधार कार्ड।

5— नकद 2430/— रूपये।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय</u>

ककरही रेलवे क्रासिंग से 50 मीटर पहले, गोपीगंज, भदोही, दिनांक 04.09.2021 समय 00:15 AM।

विगत काफी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि अन्तर्राज्यीय गिरोहों द्वारा दिल्ली, पंजाब व हरियाणा से अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार प्रान्त के विभिन्न जनपदों में की जा रही है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोहों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनाँक—03.09.2021 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के उ0नि0 श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, मु0आरक्षी राजेश कुमार, अभिषेक मिश्रा, आरक्षी किशन चन्द्र, दिलीप सिंह व आरक्षी चालक रविकान्त सिंह की टीम जनपद भदोही में आपराधिक अभिसूचना संकलन में व्यस्त थी इसी दौरान सूचना मिली कि शराब तस्करों द्वारा पंजाब प्रान्त से अवैध अंग्रेजी शराब विक्रय हेतु वाराणसी के रास्ते होते हुए नेशनल हाईवे से बिहार प्रान्त ले जाया जा रहा है इस सूचना पर विश्वास कर उक्त टीम के सदस्य व स्थानीय पुलिस को सहयोगार्थ साथ लेकर तत्काल ज्ञात स्थान पर पहुॅचकर वाहन का इन्तजार करने लगे। थोड़ी देर बाद यू0पी0—68 बी0सी0—1440 नम्बर की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उक्त वाहन को ककरही रेलवे क्रासिंग से 50 मीटर पहले रोककर चेक किया गया तो अवैध शराब से लदे डीसीएम ट्रक व 02 अभियुक्तों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ पर उन्होंने बताया कि यह अवैध अंग्रेजी शराब जिरखपुर मोहाली पंजाब से नवदीप सिंह उर्फ नवी ग्रेवाल उर्फ लकी सिंह व जसवन्त सिंह ने बिहार प्रान्त के मुजफ्फरपुर तक पहुॅचाने के लिए भेजा था तथा बताया गया था कि मुजफ्फरपुर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के कुछ लोग तुम लोगों से सम्पर्क करके स्वयं इस अवैध शराब को अपने अड्डे तक लेकर जायेंगे। स्थानीय तस्करों के सम्बन्ध में जानकारी करने पर पकड़े गये अभियुक्तों ने बताया कि अवैध शराब भेजने वाले लकी सिंह व जसवन्त सिंह तथा स्थानीय शराब तस्करों में दूरभाष के जरिये वाट्सअप पर सीधे वार्ता हो रही थी इसलिए स्थानीय तस्करों के बारे इन्हें जानकारी नहीं है। इस काम के एवज में गिरफ्तार अभियुक्तों को खाने—पीने इत्यादि खर्चे के अलावा 15 से 20 हजार रूपये प्रति चक्कर तस्करों से मिल जाते है। ज्यादा पैसों के लालच में आकर अवैध अंग्रेजी शराब को ट्रकों व अन्य वाहनों में भरकर विभिन्न प्रान्तों में पहुॅचाने का काम पिछले काफी समय से इस गिरोह के साथ मिलकर कर रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना गोपीगंज, जनपद भदोही में दाखिल करके मु0अ0सं0—240/2021 धारा—419/420/467/468/471 भादवि व 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः संकटग्रस्त एवं संरक्षित जानवर लकडबग्घा के कंकाल (हड्डी) की तस्करी करने वाले गिरोह के 05 अभियुक्तगण गिरफ्तार एवं लगभग 20 लाख रूपये मूल्य का कंकाल बरामद।

दिनांक 03–09–2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश और वन विभाग के संयुक्त अभियान में अति संकटग्रस्त एवं संरक्षित जानवर लकडबग्घा के कंकाल (हड्डी) का अवैध व्यापार कर रहे 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरतार अभियुक्तों का विवरणः–

1– आनन्द कुमार सिंह पुत्र काशी नरेश सिंह निवासी–एस/ए–6/22, आर–11,12 अनमोल नगर कॉलोनी, पुरानी आर0टी0ओ0 आफिस, थाना सारनाथ, जनपद वाराणसी।
2– अरविन्द मौर्या उर्फ दिलीप मौर्या पुत्र बनारसी मौर्या निवासी हुकुलगंज पाण्डेयपुर, थाना पहडिया लालपुर, जनपद वाराणसी।
3– सुदामा पुत्र स्व0 बैजनाथ निवासी ठिकसारी, थाना चिल्ह, जनपद मिर्जापुर।
4– सिपाही पुत्र लक्षनधारी निवासी बल्लीपरवा, थाना चिल्ह, जनपद मिर्जापुर।
5– महमूद पुत्र मंजूर निवासी कुरैश नगर, थाना कोतवाली शहर, जनपद मिर्जापुर।

बरामदगी का विवरणः

1– लकडबग्घा का कंकाल (कुल हड्डी–143 अदद) (अनुसूची–3) मूल्य लगभग–20लाख रूपये।
2– 05 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान

बृन्दा होटल के पास रोडवेज बस स्टेशन के पीछे थाना सिगरा, जनपद वाराणसी

विगत काफी दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में संकटग्रस्त संरक्षित वन्य जीवों की तस्करी करने वाले गैंग के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसपर एस0टी0एफ0 वाराणसी टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 03–09–2021 को सायंकाल लगभग 08.30 बजे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरों नई दिल्ली के श्रोतों से सूचना प्राप्त हुई कि थाना सिगरा क्षेत्रान्तर्गत बृन्दा होटल के पास संकटग्रस्त वन्य जीव लकडबग्घा के कंकाल के साथ तस्कर मौजूद हैं और इसका सौदा करने के लिये आये हैं। उक्त प्राप्त सूचना पर निरीक्षक श्री पुनीत परिहार, निरीक्षक श्री राघवेन्द्र मिश्रा एवं निरीक्षक श्री अरविन्द सिंह के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 टीम एवं वन विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग कर जनपद वाराणसी के थाना सिगरा क्षेत्रान्तर्गत बृन्दा होटल के पास से 05 तस्करों को गिरफ्तार करते हुये उक्त बरामदगी की गयी।

पूछताछ पर अभियुक्तगण ने बताया कि इनका एक गिरोह है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में दुर्लभ जीव तेदुआं की हड्डियों की तस्करी भारी पैमाने पर होती है, जिसका उपयोग विदेशों में शक्तिवर्धक दवायें बनाये जाने में किया जाता है, जिसके कारण तेदुआं की हड्डियॉ अवैध रूप से काफी ऊचें दामों पर बेची जाती हैं। इन लोगों ने जनपद मिर्जापुर के जंगलों से वनवासियों के सहयोग से

उक्त कंकाल प्राप्त किया था तथा इसे तेदुऑ की हड्डी बताकर बिक्री करने हेतु जनपद वाराणसी में आये थे, कि पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

उल्लेखनीय है कि लकडबग्घा को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची—3 के अन्तर्गत संरक्षित जीव के श्रेणी में रखा गया है तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आई0यू0सी0एन0) द्वारा इसे संकटग्रस्त जीव की श्रेणी में रखा गया है, जिसका शिकार एवं इसके अंगो का व्यापार निषिद्ध है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध स्थानीय वन विभाग द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर सस्ते ब्याज दर पर लोन देने का लालच देकर कतिपय व्यक्तियों से लगभग 04 करोड़ की ठगी करने वाले गैंग के 05 सदस्य आगरा से गिरफ्तार।

दिनांक 04—09—2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद आगरा के हेरीटेज टॉवर संजय प्लेस से अन्तर्राज्यीय स्तर पर सस्ते ब्याज दर पर लोन देने का लालच देकर कतिपय व्यक्तियों से लगभग 04 करोड़ की ठगी करने वाले गैंग के 05 सदस्य आगरा से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1— गौरव यादव उर्फ सुमित त्यागी पुत्र रामदीन सिंह निवासी नगला छत्तू थाना एका जनपद फिरोजाबाद।
2— सनी मिश्रा पुत्र निर्मल मिश्रा निवासी ग्राम खेड़ा नारायण सिंह थाना अकराबाद अलीगढ़
3— षिवम भारद्वाज पुत्र सतेन्द्र कुमार शर्मा निवासी ग्राम खेड़ा नारायण सिंह थाना अकराबाद अलीगढ़।
4— विष्नू चौधरी पुत्र रिषीपाल सिंह निवासी सीगनाबुर्ज थाना सिकन्दरा आगरा।
5— राहुल शर्मा उर्फ मंयक पुत्र संजीव शर्मा निवासी सुरेन्द्र नगर थाना क्वारसी जनपद अलीगढ़।

बरामदगीः—

1— एक अदद लैपटाप एसर कम्पनी मय चार्जर।
2— 39 मोबाईल (एण्ड्रायड विभिन्न कम्पनी एवं की पैड मोबाईल विभिन्न कम्पनी),
3— 67 अदद सूचना खाली फार्म,
4— 125 प्राईमरी एप्रूवल लोन फाइल यूनाइटेड फाइनसर्व सर्विस प्रा.लि. की।
5— एक अदद डाक्यूमेन्ट फाइल जिसमें आफिस द्वितीय तल हेरीटेज टॉवर एमजीरोड स्थित ऑफिस का किरायानामा
6— एक अदद प्रमाण पत्र कॉमरेड फिनकॉन्स सोल्यूसन्स प्रा.लि. का प्रमाण पत्र तथा उससे सम्बन्धित अन्य दस्तावेज
7— 02 अदद मौहरें उमाश्री फाइनेन्ससियल सर्विस प्रा.लि.।
8— 01 अदद मौहर फार ऐवियेषन एकाउन्ट सर्विस प्रोप .
9— 01 अदद परिचय पत्र गौरव यादव एम्पालौयी कार्ड न0—5277
10— 04 अदद पासबुक विभिन्न बैंक।

11— 4 अदद चैकबुक विभिन्न बैंक।
12— 02 आधार कार्ड।
13— 17 एटीएम कार्ड विभिन्न बैंक।
14— 02 अदद वोटर कार्ड।
15— 01 अदद पैन कार्ड।
16— 6 अदद सिम विभिन्न कम्पनी।
17— 27 अदद रिज्यूम कार्ड।
18— 650 अदद शीट जिसमें काल करने वाले व्यक्तियों के नम्बर अंकित है।
19— 270 अदद प्रपत्र जिनपर यूनाइटेड फाइनसर्व सर्विस प्रा.लि. लिखा है तथा इन पर पूर्व से टाइपषुदा तथा हस्तलिखित विभिन्न नाम पते अंकित हैं।
20— 50 अदद स्टालमेन्ट चार्ट 06 प्रतिषत प्रति वार्षिक फ्लैट बेसिस स्टेटमेण्ट।
21— 04 अदद उपस्थिति रजिस्टर।
22— 10 अदद यूनाइटेड फाइनसर्व सर्विससेज प्रा.लि. कम्पनी का लोन दिलाने हेतु आवष्यक अभिलेखों की सूची।
23— एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार बिना नम्बर।
24— 29,900 रूपये नकद।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः— दिनांक 04.09.2021, स्थानः थाना हरीपर्वत, जनपद आगरा क्षेत्रान्र्तगत हैरीटेज टॉवर एमजी रोड स्थित ऑफिस से समय प्रातः लगभग 11.46 बजे

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से अन्तर्राज्यीय स्तर पर सस्ते ब्याज दर पर लोन देने का लालच देकर ठगी करने वाले गैंग के संक्रिय होने के सम्बन्ध में सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 04.09.2021 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना हरीपर्वत, जनपद आगरा क्षेत्रान्र्तगत अन्र्तराज्यीय स्तर पर सस्ते ब्याज दर पर लोन देने का लालच देकर ठगी करने वाले गैंग संचालित है, प्राप्त सूचना के आधार पर निरीक्षक श्री हुकुम सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार, मु0आरक्षी रामनरेष सिंह मु0आ0 सन्तोष कुमार, मु0 आरक्षी बृजराज सिंह, आरक्षी प्रषान्त चौहान आरक्षी अंकित गुप्ता मु0 आरक्षी प्रो0 कमाण्डो लाल सिंह की टीम गठित कर तत्काल मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान थाना हरीपर्वत, जनपद आगरा क्षेत्रान्र्तगत हेरीटेज टॉवर एमजी रोड स्थित ऑफिस पर पहुँची तो वहॉ पर ऑफिस संचालित था पूछतॉछ करने के बाद तस्दीक होने पर दविष देकर 05 नफर अभियुक्तो को पकड़ लिया जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई है।

उक्त गैंग के सरगना गौरव यादव उर्फ सुमित त्यागी द्वारा पूछतॉछ करने पर बताया कि साहब हम लोगों को दीपक निवासी अलीगढ़ व विनय, आलोक एवम नीतू द्वारा कतिपय व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों की सूची उपलब्ध करायी जाती है, जिसको मै व मेरे पकड़े साथियों द्वारा उन नम्बरों पर काल करते है तथा व्यक्तियों को सस्ती ब्याज दर पर लोन देने का लालच देकर उनको राजी किया जाता है, तथा व्यक्तियों के सहमत होने पर हम लोग उन लोगों से फाईल चार्ज, जीएसटी चार्ज, बीमा राषि, कमीषन आदि अपनी विभिन्न बैकों के एकाउन्ट में जमा कराते है साहब यह काम हम लोग काफी समय से कर रहे है अभी तक हम लोगो ने लगभग 04 करोड़ रूपया कमाया है

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के विरूद्ध थाना हरीपर्वत, आगरा पर मु0अ0सं0 347/2021 धारा 311/420/467/468/471/472/120बी भादवि0 व धारा 66 ग/66 घ सूचना प्रौद्योगिकी अधि0 के अन्र्तगत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना हरीपर्वत जनपद आगरा द्वारा की जा रही है वाछिंत अभियुक्तो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

———